न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :43/2024
निर्णय दिनांक : 22.05.2024

1. आदित्य पुत्र रतन कुमार उम्र 31 वर्ष, निवासी–129, सूरज नगर पूर्व सिविल लाईंस जयपुर।
2. रतन कुमार पुत्र उगराव सिंह उम्र 57 वर्ष, निवासी 129. सूरज नगर पूर्व सिविल लाईन्स जयपुर।
3. सुमन कान्ता पत्नि रतन कुमार उम्र 55 वर्ष, निवासी–129, सूरज नगर पूर्व सिविल लाईन्स जयपुर।

–प्रार्थीगण

वनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. उपतहसीलदार, दहमीखुर्द, दहमी कला बगरू पतासः उपतहसील बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

प्रार्थीगण से ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम दहमी खुर्द पटवार हल्का दहमी कंला भू–अभि नि. क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में आराजी भूमि खसरा संख्या 372/831 रकबा 0.1344, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.2613, खसरा नम्बर 373/827 रकबा 0.2713, एवं खसरा नम्बर 374 रकबा 0.0440 कुल किता 4 कुल रकबा 0.7110 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकिन वाणिज्यिक स्थित है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के मंगल सिंह पुत्र बहादुर सिंह के द्वारा छोड़ी गई वसीयत के आधार पर नामान्तकरण संख्या 30 दिनांक 05.11.2004 के जरिये प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित सम्पूर्ण हिस्से के 1/3 हिस्से के खातेदार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नामान्तकरण के पश्चात नामान्तकरण संख्या 51/31.05.2006 के जरिये प्रार्थीगण के स्वामित्व के खसरा नम्बर 372/831, में से 0.0191, खसरा नम्बर 373 में 0.0087 एवं खसरा नम्बर 373/827 में से 0.0087 कुल किता 3 रकबा 0.0365 हैक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम अन्तरित हो गई उसके पश्चात वर्तमान में प्रार्थीगण के पास प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी शेष रही जिसका प्रार्थीगण बहैसियत काबिज खातेदार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उपरोक्त प्रकार से प्रार्थीगण ने अपने स्वामित्व व खातेदारी की उपरोक्त आराजी भूमि के संबंध में भूमि के चारो और सीमांकन इत्यादि करवा कर बाउण्ड्रीवाल इत्यादि बनवाने के उद्देश्य से माह जनवरी में संबंधित पटवारी पटवार मण्डल दहमी कला तहसील सांगानेर के यहां जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या–1 में वर्णित आराजी भूमि के संबंध में दस्तावेज प्राप्त किये और संबंधित पटवारी से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की तो प्रार्थीगण को पता चला कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित संबंधित आराजी के नक्शो में खसरा नम्बरान गलत प्रकार से अंकित हो गये है। माह जनवरी में जो प्रतिलिपियां प्रार्थीगण को प्राप्त हुई उसके अनुसार एवं जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल गिरदावरी इत्यादी के आधार पर प्रार्थीगण के स्वमित्व के खसरा नम्बर 373/827 का कुल रकबा 0.2713 गैर मुमकिन वाणिज्यिक दर्ज है, जबकि प्रार्थीगण के भूमि के पास ही राष्ट्रीयराजमार्ग से लगता हुआ खसरा संख्या–373/828 जिसका कुल रकबा 0.02 हैक्टेयर है, के खसरा नम्बरान उनके क्षेत्रफल के अनुसार नक्शे में परिवर्तित हो गये अर्थात जहां नक्शे में खसरा नम्बर 373/828 का रकबा उसके क्षेत्रफल 0.02 हैक्टेयर के अनुसार एवं खसरा नम्बर 373/827 का रकबा 0.2713 हैक्टेयर के हिसाब से दर्शाया जाना चाहिए था वह नहीं दर्शा कर कमशः उनके कमांक परिवर्तित हो गये है। जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक है। प्रार्थीगण को जो प्रमाणित प्रतियां प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के संबंध में प्राप्त हुई उसमें लाल रंग से दर्शाये गये खसरा संख्या 373/827 एवं पीले रंग से दर्शाये गये खसरा नम्बर 373/828 के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि प्रतिलिपि स्वरूप प्राप्त नक्शे में खसरा नम्बर 373/827 को क्षेत्रफल अनुसार कम दर्शाया गया है बल्कि 3738/827 को क्षेत्रफल के अनुसार अधिक दर्शाया गया है

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अर्थात उपरोक्त नक्शे से स्पष्ट है कि तकनीकी लिपिकिय भूल के कारण जहां खसरा संख्या 373/827 दर्ज होना था वहां उसके स्थान पर खसरा संख्या 373/828 दर्ज हो गया और जहां खसरा संख्या 373/828 दर्ज होना चाहिए था वहां खसरा संख्या 373/827 दर्ज हो गया। उपरोक्त प्रकार से संबंधित राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दीयों भू–मिलान क्षेत्रफल, गिरदारवी एवं मौके की स्थिति से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 373/827 जिसका क्षेत्रफल 0.2713 हैक्टेयर है वह खसरा नम्बर 373/828 जिसका क्षेत्रफल 0.02 हैक्टेयर है से बड़ा है इस कारण उपरोक्त तकनीकी भूल को न्याय हित में दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नक्शा में क्रमशः खसरा संख्या 373/828 के स्थान पर खसरा संख्या 373/827 एवं खसरा संख्या 373/827 के स्थान पर खसरा संख्या 373/828 दुरूस्त करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र में बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार सांगानेर ने अपने जवाब में अंकित किया कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं ऑनलाईन नक्शे का अवलोकन करने पर ज्ञात हुऔ कि सेग्रीगेशन कार्य दौरान नक्शे का डिजिटलाईजेशन करने पर खसरा नम्बर 373/828 व 373/827 परस्पर (इन्टरचेंज) सहवन से बदल गये है। जिसकी राजस्व नक्शे (ऑनलाईन) में खसरा संख्या 373/828 के बजाय खसरा नम्बर 373/827 व खसरा नम्बर 373/827 के बजाय 373/828 की शुद्धि की जानी प्रस्तावित है।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व वाके ग्राम दहमी खुर्द पटवार हल्का दहमी कला भू–अभि नि. क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में आराजी भूमि खसरा के

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

राजस्व नक्शा में क्रमशः खसरा संख्या 373/828 के स्थान पर खसरा संख्या 373/827 एवं खसरा संख्या 373/827 के स्थान पर खसरा संख्या 373/828 दुरूस्त किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सांगानेर (जयपुर) [illegible]
दिनांक: 16/5/24

फर्द अहकाम

आदित्य वगै0 बनाम राज0 सरकार वगै0

ख्याः /2024 निगरानी 54/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
03.2024	वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्थान अधिनियम 1956 का पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस एवं जवाब हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 04.04.2024 को पेश हो। (उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय))	नोटिस जारी 1150-1151 2/4/24
4/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप० अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील शामिल हो पत्रावली वास्ते जवाब/बहस [illegible] 18/4/2024 को पेश हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
18/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/4/24 को पेश हो।	
24/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० TDR से जवाब पेश नहीं। TDR को तहरीर जारी कर जवाब मंगावे। पत्रावली दि० 16/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
16/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप० हाजिर TDR रिपोर्ट हेतु 22/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) हस्ताक्षर	

[illegible]नवानी
सांगानेर
[illegible] बारे बाबत
[illegible] दिनांक
पत्र प्रकरण
[illegible] 1956 में
– अधिशासी